

31/5
37-5-19

आज्ञा विस्तृत रूप से / सुनाया गया
दिनांक 37-5-19 को

अज्ञात व्यक्ति
को

37-5-19

पत्रावली पेशादारी वकील पक्षकारान उप० ई०
 बुधसुन्दरनाथ पक्षकारान वकील की सुनीगणी को
 कुरेनाथ का भुवलोचन कर पक्षकारान वकील द्वारा
 कथन किया कि कुरेनाथ सहमति से बगोपेनाथर
 तहसीलदार द्वारा किये गये हैं जिनके अनुसार
 दावा वादी डिडी किया जाकर दिया जावे। पक्षकारान
 वकील को सुनाया गया व कुरेनाथ रिपोर्ट का भुवलोचन
 किये गये। कुरेनाथ सहमति को बगोपे जाकर
 किये गये हैं जिन पर दिसा है बाबू आपातिवर्धी
 किये जाते से दावावादी गुलाबिन्द कुरेनाथ रिपोर्ट
 अनुसार डिडी किया जागा उचित समझते हैं।
 दावा वादी गुलाबिन्द कुरेनाथ रिपोर्ट अनुसार
 डिडी किया जाकर वाकैनाथ को टावापरा के छठे
 3372/3 रकबा 0.0250 ई० साठि राधे प्रपात नवल
 डिडीर पि हरिनारायण जाति का कान सा देहे दे
 खाते में रहेगी व खन 3372/2 रकबा 0.0250 ई०
 साठि लाल पति राधे प्रपात जाति का सा देहे दे
 खाते में रहेगी व खन 3372/1 रकबा 0.0250 ई०
 साठि लाल पति लक्ष्मण लाल जाति का कान
 सा देहे पाते में रहेगी व खन 3372 रकबा
 0.0140 व खन 3372/4 रकबा 0.0110 खिता 2
 रकबा 0.0250 ई० साठि लाल चन्द पुत्र हरिनारायण
 हि 1/3 बाबू लाल तेजल डि रोडू की 2/3 हि
 व जाति का कान सा देहे पाते में रहेगी व खन
 अनुसार रापस्थ सिनाई में धर्म किया जावे।
 जिनके व डिडी के नमूने कुरेनाथ पर रहेगी।
 निर्णय अनुसार डिडी जारी हो। जिन पर पी मालना
 एवं तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली पाठ
 तहसीलदार के दफ्तर हो।

37-5-19